उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-सूची

सोमवार, 14 अग्रहायण, शक संवत् 1944
(दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 ई0)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-शुभारम्भ, 'वन्दे मातरम्'।

देखिये नत्थी (क)।

2-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

3-**<u>12:20 बजे अपराह्न</u>**

वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

4-सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

5-विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

6-नियम-315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा :-

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा नियम-225 के अन्तर्गत दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 से दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 तक विधान सभा का कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना सदन को देंगे।

सिफारिशों की सूचना के लिये देखिये नत्थी (ख)।

7-मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हो।

8-नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करने की सूचनाएं, यदि कोई हों।

लखनऊ :

दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 ई0

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

नत्थी (क)

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

नत्थी (ख)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 04 दिसम्बर, 2022 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 से दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायें।

2-दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 के उपवेशन में प्रश्नकाल न हों।

3-दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 को केवल नियम-51, 301 की सूचनायें ली जायें।

4-नियम-103 के प्रस्ताव दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 को ले लिये जायें।

दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 से दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

दिसम्बर, 2022

05 सोमवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।
	2-**12:20 बजे अपराह्न**
	वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।
06 मंगलवार	1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।
	2-वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
	3-विधायी कार्य।
07 बुधवार	1-विधायी कार्य।
	2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।